अध्याय-I

राज्य सरकार के वित्त पर एक विहंगावलोकन

अध्याय- I
राज्य सरकार के वित्त पर एक विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

वित्त लेखे में समाहित सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर इस अध्याय में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की गयी है। विश्लेषण का आधार राज्य सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय की प्रवृति, व्यय की विशेषता एवं वित्तीय व्यवस्था है। साथ् ही सरकार के वित्तीय क्रिया-कलापों के सूचकों के विश्लेषण पर इस अध्याय में एक खण्ड भी है जो वित्त लेखे में समाहित सूचनाओं एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी अन्य सूचनाओं के अनुसार खास अनुपात एवं घातांकों के आधार पर तैयार किया गया है। इस अध्याय में व्यवहृत कुछ शब्दों को इस अध्याय के परिशिष्ट-I में वर्णित किया गया है।

1.2 राज्य की वित्तीय स्थिति

सरकारी लेखाकरण पद्धति में सरकार द्वारा स्वामित्व भूमि एवं भवन इत्यादि जैसी अचल सम्पत्तियो का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि, शासकीय लेखे में सरकार का वित्तीय दायित्व एवं सरकार द्वारा किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियाँ सम्मिलित की जाती हैं। 31 मार्च 2002 के ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों की संक्षिप्त सूची प्रदर्श-I दर्शाता है। जबकि इस विवरणी के दायित्वों में मुख्यतः वाह्य एंव अंतःऋण, भारत सरकार से प्राप्त कर्जे एवं पेशगियाँ, लोक लेखे से प्राप्तियाँ एंव आरक्षित निधि समाहित हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा किये गये कर्जे एवं पेशगियाँ तथा रोकड़ शेष सम्मिलित हैं। झारखण्ड सरकार के दायित्वों में वर्णित लेखों में तथापि सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को भुगतेय पेंशन दायित्व और सेवारत कर्मचारियों द्वारा उदार्तित सेवानिवृत्ति से पूर्व का भाग सम्मिलित नहीं है।

1.3 निधि का स्त्रोत एंव उपयोग

1.3.1 वर्ष के दौरान निधियों के स्त्रोत एवं उपयोग की स्थिति को प्रदर्श III में दिया गया है। निधियो के मुख्य श्रोत में सरकार की राजस्व प्राप्तियां, कर्जे एवं पेशगियों की वसूली, लोक ऋण एवं लोक खाते मे प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। इनका उपयोग मुख्यतः राजस्व एवं पूँजीगत व्यय पर तथा विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उधार देने हेतु किया जाता है।

राज्य सरकार के लिए निधियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्त्रोत राजस्व प्राप्तियाँ है। कुल राजस्व में इसका अपेक्षित अंश 77 प्रतिशत था। कर्जे एंव पेशगियों की वसूली का अंश मात्र 2 करोड़ था। लोक खाता से शुद्ध प्राप्तियों का अंश 23.75 प्रतिशत था। निधियों का कुल स्त्रोत तथापि, लोक लेखा में प्राप्तियों की अपेक्षा अधिक संवितरण से 523.35 करोड़ रूपये कम हुआ। परिणामस्वरूप, रोकड़ शेष मे 496 करोड़ रूपये का ह्रास था।

1.3.2 निधियों का उपयोग मुख्यतः राजस्व व्यय के लिए होना था जिसका अंश (82 प्रतिशत) राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों के अंश (77 प्रतिशत) से स्पष्टतः उच्चतर था। इस कारण राजस्व धाटा 305 करोड़ रूपये हुआ। इस अवधि में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत 12 प्रतिशत था। विकासात्मक उद्देश्यों के लिए कर्ज 6 प्रतिशत था।

प्रदर्श - I

31 मार्च 2002 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

दायित्व				
31 मार्च 2001 को			**31 मार्च 2002 को**	
(करोड़ रूपये में)			**(करोड़ रूपये में)**	
2333.89		**आंतरिक ऋण**		**3528.31**
	1643.78	ब्याज मुक्त बाजार ऋण	2013.42	
	0.24	ब्जाज मुक्त बाजार ऋण	0.24	
	4.70	एल.आई.सी. से ऋण	4.70	
	1.60	जी.आई.सी. से ऋण	1.60	
	21.71	अन्य संस्थाओं से ऋण	21.53	
	59.98	अर्थोपाय पेशगियाँ (आर.बी.आई.)	59.98	
	601.88	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष सुरक्षा	1426.84	
		रिजर्व बैंक में जमा में कमी		**541.15**
3811.35		**केन्द्र सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ**		**4009.07**
	219.58	1984.85 से पूर्व का ऋण	190.44	
	1333.43	गैर योजना ऋण	1311.35	
	2235.37	राज्य योजना कार्यक्रमों के लिए ऋण	2477.98	
	3.59	केन्द्रीय योजना कार्यक्रमों के लिए ऋण	3.35	
	4.84	केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यक्रमो के लिए ऋण	11.41	
	14.54	अर्थोपाय पेशगियाँ	14.54	
150.00		**आकस्मिक निधि**		**150.00**
43.99		**लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि**		**(-) 17.72 14.11.2000 को उत्तरवर्ती राज्य बिहार और झारखण्ड के मध्य शेष का बँटवारा अभी होना है।**
48.77		**जमा**		**227.15**
0.18		**आरक्षित निधि**		**57.55**
59.77		**उचंत एंव विविध शेष**		
6447.95		**कुल**		**8495.51**
		परिसम्पत्तियाँ		
161.44		**अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय**		**893.94**
		कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	6.99•	
	161.44	अन्य पूँजीगत परिव्यय	886.95	
22.82		**ऋण एंव पेशगियाँ**		**349.51**
	20.00	उर्जा परियोजना के लिए ऋण	284.21	
	2.71	अन्य विकास ऋण	58.52	
	0.11	सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण	6.78	
0.10		**पेशगियाँ**		**1.81**
3.91		**प्रेषण शेष**		**15.30**
-		**उचन्त एंव विविध शेष**		**624.52**
944.36		**रोकड़**		**990.01**
		कोषागारों मे रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
	(-) 4.26	विभागीय रोकड़ शेष	52.18	
	-	स्थायी पेशगियाँ	0.06	
	123.27	रिजर्व बैंक में जमा		
		उद्यिष्ट निधियों का निवेश		
	825.35	रोकड़ शेष निवेश	937.77	
5315.32		**सरकारी लेखे मे घाटा**		**5620.42**
	825.34	वर्ष के दौरान राजस्व घाटा	305.10	
	5990.66	संचित धाटा	5315.32	
	150.00	15.11.2000 से 31.3.2001 तक विविध धाटा		
6447.95		**कुल**		**8495.51**

• राजस्व लेखा से निवेशित 2 करोड़ रूपये इसमें नहीं

प्रदर्श- II
वर्ष 2001-2002 की प्राप्तियाँ एवं संवितरण का सार

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2000-2001			2001-2002	2000-2001		गैर योजना	योजना	कुल	2001-2002
			(करोड़ रूपये में)						(करोड़ रूपये में)
				खण्ड-क राजस्व					
1964.16	I राजस्व प्राप्तियां		4495.02	1138.82	1. राजस्व व्यय				4800.12
700.26	- कर राजस्व	1585.48		484.51	सामान्य सेवा	1708.32	131.25	1839.57	
348.59	- कर भिन्न राजस्व	851.88		437.97	सामाजिक सेवा	137834	519.08	1897.42	
579.26	संघीय करो मे राज्य का अंश	1603.19		284.74	शिक्षा, क्रीड़ा कला एवं संस्कृति	944.78	85.67	1030.45	
83.03	गैर योजना अनुदान	95.65		62.20	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	158.51	91.83	250.34	
209.52	राज्य योजनागत योजना के लिए अनुदान	106.23		19.75	जलापूर्ति, स्वच्छता,आवास एवं नगर विकास	86.20	38.64	124.84	
43.50	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	252.59		0.85	सूचना एवं प्रसारण	5.60	0.86	6.46	
				40.48	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	66.59	249.02	315.61	
				4.96	श्रम एवं श्रम कल्याण	15.87	0.28	16.15	
				24.28	समाज कल्याण एवं पोषाहार	95.59	52.78	148.37	
				0.71	अन्य	5.20	-	5.20	
				216.34	आर्थिक सेवा	450.90	611.54	1062.44	
				70.39	कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ	161.88	117.18	279.06	
				103.78	ग्रामीण विकास	114.72	161.46	276.18	
					सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	
				11.59	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	38.01	8.33	46.34	
					ऊर्जा	-	3.00	3.00	
				5.16	उद्योग एवं खनिज	16.32	49.61	65.93	
				21.15	परिवहन	92.77	251.90	344.67	
				4.27	सामान्य आर्थिक सेवायें	27.20	20.06	47.26	
					सहायता अनुदान अंशदान	0.69	-	0.69	
			4495.02		कुल	3538.25	1261.87	4800.12	4800.12
	II खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व घाटा		305.10		II खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व आधिक्य				
				खण्ड-ख					
-28.72 •	III स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित आरम्भिक रोकड़		944.36	शून्य	III आर.बी. आई. से आरम्भिक ओवर ड्राफ्ट				
	IV विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ				IV पूँजीगत परिव्यय				732.50
				3.34	सामान्य सेवायें	-	7.41	7.41	
				2.74	सामाजिक सेवायें	-	122.70	122.70	
				1.40	शिक्षा,क्रीड़ा, कला एंव संस्कृति	-	4.58	4.58	
					स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	21.65	21.65	

• 14.11.200 को बिहार के शेष से आवंटित

				0.06	जलापूर्ति, स्वच्छता	-	90.72	90.72	
				1.28	आवासीय एवं नागरीय विकास	-	-	-	
					अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	-	5.75	5.75	
				155.36	आर्थिक सेवायें		602.39	602.39	
					कृषि एंव संबंधित गतिविधियाँ	-	-	-	
				79.15	ग्रामीण विकास विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	269.00	269.00	
				59.42	सिंचाई एंव खाद्य नियंत्रण	-	189.86	189.86	
					ऊर्जा	-	30.00	30.00	
					उद्योग एवं खनिज	-			
				16.79	परिवहन	-	106.54	106.54	
					अन्य आर्थिक सेवा	-	6.99	6.99	
0.64	V कर्ज एवं पेशगियॉ की वसूली		2.49		V संवितरित कर्ज एवं पेशगियाँ	-	-	-	329.18
	विद्युत परियोजना से	-	-	20.00	विद्युत परियोजना के लिए	-	-	264.21	-
0.51	सरकारी सेवकों से	2.03	-	0.62	सरकारी सेवकों को	-	-	8.70	-
0.13	अन्य से	0.46	-	2.84	अन्य को	-	-	56.27	
825.34	VI राजस्व आधिक्य नीचे ले जाया गया	-	-	-	VI राजस्व घाटा नीचे ले जाया गया	-	-	-	305.10
265.81	VII लोक ऋण प्राप्तियाँ	-	1585.38	-	VII लोक ऋण का पुनर्भुगतान	-	-	-	193.24
122.62	अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओभर ड्राफ्ट को छोडकर आंतरिक ऋण	1196.47	-	0.42	अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	-	-	2.05	-
शून्य	अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवर ड्राफ्ट क अंतर्गत निवल लेन देन	शून्य	-	-	-	-	-	-	-
143.19	केन्द्र सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ	388.91	-	82.09	केन्द्र सरकार से ऋण एंव पेशगियों का पुनर्भुगतान	-	-	191.19	-
	VIII आकस्मिकता निधि से विनियोजन	-	-	-	VIII आकस्मिता निधि से विनियोजन	-	-	-	-
150.00	IX आकस्मिकता निधि में स्थानांतरित राशि	-		-	IX आकस्मिकता निधि में स्थानांतरित राशि	-	-	-	-
840.42	X लोक लेखा प्राप्तियाँ	-	1940.12	-	X लोक लेखा संवितरण	-	-		2463.47
125.79	लघु बचत एवं भविष्य निधि	169.59		81.80	लघु बचत एवं भविष्य निधि	-	-	231.30	-
0.35	आरक्षित निधियाँ	57.87	-	0.17	आरक्षित निधियाँ	-	-	0.50	-
270.20	उचन्त एवं विविध	(-) 136.04	-	210.42	उचंत एंव विविध	-	-	548.25	-
169.26	प्रेषण	810.54	-	173.17	प्रेषण्	-	-	821.93	-
274.82	जमा एवं अग्रिम	1038.16	-	226.15	जमाएंव अग्रिम	-	-	861.49	-
	XI भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवर ड्राफ्ट	-	-	-	XI अंत में रोकड़ शेष	-	-	-	448.86
				-	कोषागार एंव स्थानीय प्रेषण मे रोकड़	-	-	-	-
				123.27	रिजर्व बैंक मे जमा	-	-	(-) 541.15	-
				(-)4.26•	अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	-	-	52.24	-
					उद्दिष्ट निधियों का निवेश	-	-	-	-
				825.35	रोकड़ शेष निवेश	-	-	937.77	-
2053.48	कुल-		4472.35	2053.48	-	-	-	-	4472.35

• 14.11.2000 के बकाये अंतशेष की प्राप्तियों के समायोजन नहीं होना जो अभी भी उत्तरवर्त्ती राज्यों बिहार और झारखण्ड के मध्य विनिहित है, ऋणात्मक शेष का कारण है।

प्रदर्श III
निधियों के स्त्रोत एवं उपयोग

		स्त्रोत		
2000-2001				**2001-02**
		(करोड़ रूपये में)		
1964.16		1. राजस्व प्राप्तियाँ		4495.02
0.64		2. ऋण एंव अग्रिमों की वसूली		2.49
183.30		3. ओवर ड्राफ्ट को छोड़ लोक ऋण में वृद्धि		1392.14
148.70		4. लोक लेखे से शुद्ध प्राप्तियाँ		(-) 523.35
	43.99	लघु बचत में वृद्धि	(-) 61.71	
	48.68	जमा एवं अग्रिमो में वृद्धि	176.67	
	0.17	आरक्षित निधि में वृद्धि	57.37	
	59.77	उचन्त एवं विविध लेन-देन का निवल प्रभाव	(-) 684.29	
	(-) 3.91	प्रेषण लेन देन का निवल प्रभाव	(-) 11.39	
150.00		5. आकस्मिकता निधि लेन-देन का निवल प्रभाव	-	-
		6. अंत रोकड़ शेष मे ह्रास		495.50
2446.80		**कुल**		**5861.80**
		उपयोग		
1138.82		1. राजस्व व्यय		4800.12
23.46		2. विकास एवं अन्य उद्देश्यों क लिए उधार देना		329.18
161.44		3. पूँजीगत व्यय		732.50
150.00		4. आकस्मिकता निधि मे स्थानांतरण		-
973.08		5. अंत रोकड़ शेष मे वृद्धि		-
2446.80		**कुल**		**5861.80**

प्रदर्श I, II और III के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ:

1. पूर्ववर्ती दी जा रही विवरणियों में संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे की टिप्पणियों एवं व्याख्याओ के साथ पढ़ी जानी है।

2. सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होने के कारण सरकारी खाते का घाटा जैसा कि प्रदर्श I में दर्शाया गया है, रोकड़ आधार पर स्थिति बताता है जो कि बढ़ोत्तरी आधारित वाणिज्यिक लेखाकरण के विपरीत है। परिणामस्वरूप भुगतेय या प्राप्य मदें अथवा मूल्य ह्रास अथवा भंडार आँकड़ो में विविधता इत्यादि वाली मदें लेखे मे अंकित नहीं होते हैं।

3. प्रेषण, उचंत एवं विविध शेषों में निर्गत किन्तु भुगतान न किये गये चेक अन्य राज्यों की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य लेन-देन, लंबित निपटारा आदि सम्मिलित हैं।

4. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 का क्र. 30) के अनुसार बिहार राज्य का पुनर्गठन हुआ और 15 नबम्वर 2000 (यानि निर्धारित दिन) के प्रभाव से संयुक्त बिहार राज्य के 18 जिलों से समाविष्ट नये राज्य झारखण्ड के नाम से जाना गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधान के अनुसार निर्धारित दिन के ठीक पहले संयुक्त बिहार राज्य की परिसम्पत्तियों और दायित्वों और अन्य वित्तीय समायोजनों का संविभाजन प्रत्येक मामले मे होना शेष है। ऐसा विनियोजन मात्र लोक ऋण और रोकड़ के संबंध में हुआ है।

प्रदर्श IV
राज्य की वित्तीय स्थिति का कालबद्ध आँकड़ा
(संदर्भ कंडिका 1.4.3)

	2000-2001 (15.11.2000 से 31.3.2001)	2001-2002
		(करोड रूपये में)
खण्ड - क : प्राप्तियाँ		
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1964	4495
(i) कर राजस्व	**700 (36)**	**1586 (35)**
कृषि आय पर कर		
बिक्री,व्यापार आदि पर कर	585 (83)	1239 (78)
राज्य उत्पाद	37 (5)	100 (6)
वाहनों पर कर	18 (3)	86 (5)
मुद्रांक एंव पंजीयन फीस	25 (4)	64 (4)
भू राजस्व	3 (-)	10 (1)
अन्य कर	32 (5)	87 (6)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	349 (18)	852(19)
(iii) संघीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश	579 (29)	1603 (36)
(iv) भा.स. से सहायता अनुदान	336 (17)	454 (10)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		
3. कुल राजस्व और ऋण भिन्न पूँजीगत प्राप्तियां (1+2)	**1964**	**4495**
4. ऋणों और अग्रिमों की वसूली	**1**	**2**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**266**	**1585**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	123	1196
अर्थोपाय अग्रिमों और ओभरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-
भारत सरकार से लिये ऋण और अग्रिम	143	389
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (3+ 4+5)	**2231**	**6082**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**150**	-
8. लोक लेखा प्राप्तियां	**840**	**1940**
9. राज्य का कुल राजस्व (6+7+8)	**3221**	**8022**
भाग - ख : व्यय/संवितरण		
10. राजस्व व्यय	**1139 (86)**	**4800 (82)**
योजना	192 (17)	1262 (26)
गैर योजना	947 (83)	3538 (74)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	485 (43)	1840 (38)
सामाजिक सेवायें	438 (38)	1897 (40)
आर्थिक सेवायें	216 (19)	1062 (22)
सहायता अनुदान और अंशदान	-	0.69
11. पूँजीगत व्यय	**161 (12)**	**733 (12)**
योजना	161 (100)	733 (100)
गैर योजना	-	-
समान्य सेवायें	3 (2)	7 (1)
सामाजिक सेवायें	3 (2)	123 (17)
आर्थिक सेवायें	155 (96)	603 (82)
12. ऋण और अग्रिमों का संवितरण	**23 (2)**	**329 (6)**
13. कुल (10+11+12)	**1323**	**5862**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	83	193
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमो और ओभरड्राफ्टों को छोड़कर)	1	2
अर्थोपाय अग्रिमों और ओभरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	82	191

15. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**150**	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	**1556**	**6055**
17. आकस्मिकता निधि संविरतण	-	-
18. लोक लेखा संवितरण्	**692**	**2463**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**2248**	**8518**
भाग - ग : घाटा		
20. राजस्व धाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)	**825**	**(-) 305**
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(3+4-13)	**642**	**(-) 1365**
22. प्रारम्भिक घाटा (21-23)	**561**	**797**
भाग (घ) अन्य आँकड़े		
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में अंतर्हित)	81	568
24. राजस्व के बकाये (कर और कर भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ का प्रतिशत)	1144 (109%)	1762 (72)
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहाय्य	70	367
26. अर्थोपाय अग्रिमों/ओभरड्राफ्ट का उपयोग (दिन)	1	1
27. अर्थोपाय अग्रिमों/ओभर ड्राफ्ट पर ब्याज	-	-*
28. राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (रा.स.घ.उ.)	10853	•28985
29. बकाया ऋण (वर्ष के अंत तक)	6145	7537
30. बकाये प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत तक)	-	-
31. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत तक)	-	-
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	1	1
33 अपूर्ण परियोजनाओ में अवरूद्ध पूँजी	878	907

* 21,227 रू. मात्र

• अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार

1.4 राज्य सरकार का वित्तीय संचालन

राज्य सरकार द्वारा की गयी निकासी एवं प्राप्तियों का विवरण प्रदर्श II में दिखाया गया है। वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों (4495 करोड़ रूपये) से अधिक राजस्व व्यय (4800 करोड़ रूपये) होने के फलस्वरूप भारतीय रेल को राज्य में अगले कुछ वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 250 करोड़ रूपये का परिदान/आर्थिक सहायता देने के कारण 305 करोड़ रूपये के राजस्व का धाटा हुआ।

1.4.1 राजस्व प्राप्तियों मे कर राजस्व (1586 करोड़ रूपये) कर-भिन्न राजस्व (852 करोड़ रूपये) संघीय कर एव शुल्कों में राज्य का अंश (1603 करोड़ रूपये) और केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान (454 करोड़ रूपये) सम्मिलित थे। कर राजस्व के मुख्य स्रोत बिक्री कर (78 प्रतिशत) राज्य उत्पाद (6 प्रतिशत) मुद्रांक एवं पंजीयन फीस (4 प्रतिशत) और वाहनों पर कर (5 प्रतिशत) थे। कर भिन्न राजस्व मुख्यतः अलौह खनन एंव धातुकर्मीय उद्योगों (83 प्रतिशत) से प्राप्त हुए थे।

1.4.2 पूँजीगत प्राप्ति में लोक ऋण के 1585 करोड़ रूपये और ऋण एवं अग्रिमो की वसूली के 2 करोड़ रूपये थे । इसके विरूद्ध परिव्यय पर 733 करोड़ रूपये, ऋण और अग्रिमों पर 329 करोड़ रूपये, संवितरण और लोक ऋण के पुर्नभुगतान पर 193 करोड़ रूपये का व्यय था । लोक लेखे में 1940 करोड़ रूपये की राशि की प्राप्ति के विरूद्ध 2463 करोड़ रूपये संवितरित किये गये । समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में इस लेन देन का निवल प्रभाव वर्ष के अंत में रोकड़ शेष में 496 करोड़ रूपये का ह्रास था ।

1.4.3 प्रदर्श II और प्रदर्श IV मे सम्मिलित सूचनाओं के संदर्भ में राज्य सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय से संबंधित इसके वित्तीय संचालन की चर्चा नीचे की कंडिकाओं में की गयी है ।

1.5 राजस्व प्राप्तियॉ

1.5.1 राजस्व प्राप्तियों मे मुख्यतः कर एवं कर भिन्न राजस्व तथा भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्तियाँ सम्मिलित है। उनके पारंपरिक अंश आरेख I के दिखाये गये है।

आरेख 1
राजस्व प्राप्तियाँ 2001-2002
(करोड़ रूपये में)

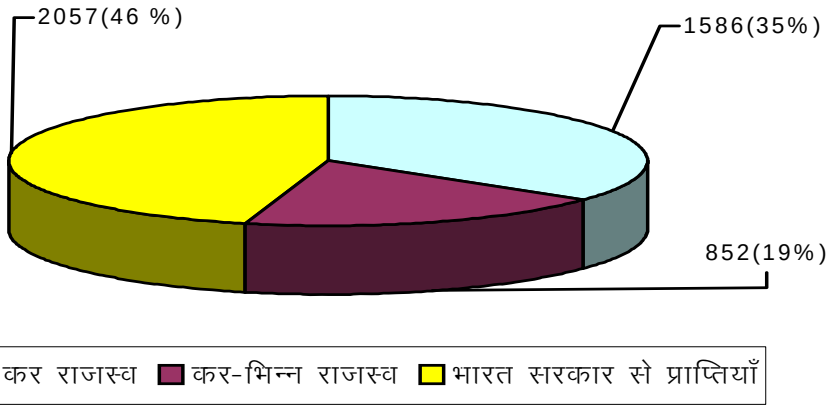

1.5.2 कर राजस्व

वर्ष 2001-2002 के दौरान ये राजस्व प्राप्तियों के 35 प्रतिशत थे। प्रदर्श IV दर्शाता है कि बिक्री कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं पंजीयन जैसे कर राजस्व के प्रमुख संघटकों का सापेक्ष योगदान था।

1.5.3 कर भिन्न राजस्व

वर्ष 2001-2002 के दौरान सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ मे कर भिन्न राजस्व का 19 प्रतिशत का योगदान था जिसमें 83 प्रतिशत प्राप्तियाँ अलौह खनन से थीं यानि 709 करोड़।

1.5.4 संधीय कर एवं शुल्कों में राज्य का अंश एवं केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान

ये राजस्व प्राप्तियाँ के वृहत् अंश (क्रमशः 36 और 10 प्रतिशत) थे । इसमें संघीय करों (सीमा शुल्क,उत्पाद शुल्क, आयकर एंव निगम कर, आय और व्यय में अन्य कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर एवं वस्तुओं और सेवाओ पर अन्य कर और शुल्क) में राज्य का अंश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान थे ।

1.6 राजस्व व्यय

1.6.1 राज्य सरकार के व्यय का अधिकांश (82 प्रतिशत) राजस्व व्यय के रूप में लेखापित था। गैर योजना व्यय राजस्व व्यय का 74 प्रतिशत था जबकि योजना व्यय का इसमें 26 प्रतिशत मात्र ही अंश था। राजस्व व्यय में सामान्य सेवायें के अंश का

अनुपात 38 प्रतिशत (1840 करोड़ रूपये) मुख्यतः गैर योजना लेखा से था और इनमें सामाजिक सेवायें (1897 करोड़ रूपये) और आर्थिक सेवायें (1062 करोड़ रूपये) क्रमशः 40 और 22 प्रतिशत थीं।

पुलिस (412 करोड़ रूपये), व्याज भुगतान (568 करोड़ रूपये) और पेंशन (515 करोड़ रूपये) पर व्यय राज्य के अपने राजस्व के 61.32 प्रतिशत के लिए लेखापित किया गया। जबकि शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति (1030 करोड़ रूपये) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (250 करोड़ रूपये) और अ.जा., अ.ज.जा. एवं पि.व. (316 करोड़ रूपये) पर व्यय राजस्व व्यय का 33.25 प्रतिशत के लिए लेखापित किया गया। एक विलक्षण उपाय में झारखण्ड ने राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारतीय रेल को 250 करोड़ रूपये का परिदान/आर्थिक सहायता दिया।

1.6.2 ब्याज भुगतान

इस अवधि मे ब्याज भुगतान 568 करोड़ रूपये था जिसमें 472 करोड़ रूपये का भुगतान केन्द्र सरकार को किया गया। 2001-02 के दौरान राज्य सरकार ने 370 करोड़ रूपये का सकल बाजार उधार लिया और बाजार ऋण पर व्याज के रूप में 3.23 करोड़ रूपये का भुगतान किया। इसकी चर्चा आगे वित्तीय सूचक (कंडिका 1.11) में की गयी है।

1.6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

इस अवधि मे विभिन्न स्थानीय निकायों आदि को प्रदान की गयी सहायता की प्रमात्रा निम्न प्रकार थीः -

तालिका 1.1

	2000-2001	**2001-2002**
	(करोड़ रूपये में)	**(करोड़ रूपये में)**
विश्व विद्यालय एंव शैक्षणिक संस्थान	60.41	200.94
नगर निगम एवं नगर पालिका	1.99	39.58
जिला परिषद एंव पंचायती राज संस्थान	0.46	शून्य
विकास अभिकरण	0.19	10.46
अन्य संस्थान	6.54	115.93
कुल	**69.59**	**366.91**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	6.15	8.16

1.7 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय सम्पत्ति के सृजन को आगे बढ़ाता है। साथ ही लोक क्षेत्र उपक्रमास (लो.क्षे.उ.), निगमों आदि जैसी सरकार से बाहर की संस्थाओं या उपक्रमों के लिए किये गये निवेश तथा ऋण एवं अग्रिमो की राशि से वित्तीय सम्पत्ति बनती है ।

1.7.1 वर्ष 2001-2002 के दौरान, कुल व्यय से पूँजीगत व्यय का अंश 12 प्रतिशत (733 करोड़ रूपये) था। प्रदर्श IV दर्शाता है कि अधिकतर पूँजीगत व्यय योजना पक्ष पर आर्थिक सेवायें में किया गया था/यानि 82 प्रतिशत।

1.7.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सरकार विकास और गैर विकासीय कार्य कलापों के लिए सरकारी कम्पनी, निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त शासी संस्थाओं, सहकारिताओं, गैर-सरकारी संस्थानों आदि को ऋण एवं अग्रिम देती है। उत्तरवर्ती राज्यों बिहार और झारखण्ड के मध्य 14.11.2000 के अधिशेष का विनियोजन होना अभी शेष है (जुलाई 2003)।

तालिका 1.2

	2000-2001	2001-2002
	(करोड़ रूपये में)	(करोड़ रूपये में)
आरम्भिक शेष	शून्य	22.82
वर्ष के दौरान दिये गये अग्रिम	23.46	329.18
वर्ष के दौरान राशि का पुनर्भुगतान	0.64	2.49
अंतशेष	22.82	349.51
निवल योग	शून्य	326.69
प्राप्त ब्याज	0.01	0.02

1.8 व्यय की गुणवत्ता

1.8.1 विधि व्यवस्था संभालने से लेकर विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के नियामक कार्य कलापों तक अनेक गतिविधियों के लिए सरकार राशि खर्च करती है। सरकारी खर्च को योजना और गैर योजना एवं राजस्व एवं पूँजी के अंतर्गत विस्तृत रूप से वर्गीकृत किया जाता है जबकि योजना और पूँजीगत व्यय का संबंध सामान्यतः सम्पत्ति सृजन से है; गैर योजना और राजस्व व्यय स्थापना खर्च, रख रखाव और सेवायें द्वारा जाने जाते हैं। इस प्रकार परिभाषा के अनुसार सामान्यतः योजना और पूँजीगत व्यय, व्यय की गुणवत्ता में योगदान के रूप में देखा जा सकता है।

1.8.2 लोक व्यय में बर्बादी, निधियों का विचलन एवं अपूर्ण परियोजनाओं पर निधियों का अवरूद्ध रहना भी व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मकता की ओर दृष्टिगोचर करायेगा । इसी प्रकार निधियों को व्यय के रूप में दर्ज करने के बाद उन्हें लोक लेखा के जमा शीर्षों मे स्थानान्तरित किया जाना भी व्यय की गुणवता का निर्णय करने मे नकारात्मकता के रूप मे समझा जा सकता है । चूँकि संबंधित वर्ष मे व्यय वास्तविक

तौर पर नहीं हुआ था अतः इस वर्ष के व्यय के आँकड़ों से इसे हटा देना चाहिए था । आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओ को नुकसान पहुँचाते हुए सामान्य सेवाओं पर व्यय मे वृद्धि होना एक दूसरा सम्भाव्य सूचक है ।

निम्नलिखित तालिका इन सूचकों की प्रवृत्ति को दिखाती हैः-

तालिका 1.3

	15.11.2000 से 31.3.2001	2001-02
1. योजना व्यय प्रतिशत के रूप मे		
- राजस्व व्यय	17	26
- पूँजीगत व्यय	100	100
2. कुल व्यय से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता	12	13
3. अपूर्ण परियोजना पर प्रतिफल रहित व्यय (वर्ष के अंत मे प्रगामी राशि)	878 करोड़ रूपये	907 करोड़ रूपये

इसमे देखा जा सकता है कि वर्ष के दौरान राजस्व पक्ष मे योजना व्यय का अंश 26 प्रतिशत था । वर्ष 2001-2002 के दौरान कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश 13 प्रतिशत था ।

1.8.3 योजना का दयनीय प्रदर्शन

राज्य सरकार ने 2001-2002 के दौरान राज्य योजनाओ के लिए कुल 2039 करोड़ रूपये, केन्द्रीय ऋण (389 करोड़ रूपये) बाजार उधार (370 करोड़ रूपये) राष्ट्रीय लघु बचत निधि (826 करोड़ रूपये) और केन्द्र सरकार से अनुदान (454 करोड़ रूपये) प्राप्त किया। इसके विरूद्ध 733 करोड़ रूपये की राशि का पूँजीगत लेखा में और 329 करोड़ रूपये ऋण और अग्रिमो में व्यय किया गया।

वर्ष 2001-02 के लिए राज्य सरकार के विनियोग लेखे मे यह भी देखा गया कि बजट प्रावधानों में से राज्य सरकार परिशिष्ट II के अनुसार विभिन्न राज्य योजनाओं (1123.19 करोड़ रूपये) के साथ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (223.63 करोड़ रूपये) एवं केन्द्रीय योजनाओ (3.42 करोड़ रूपये) के 1350.24 करोड़ रूपये (38 प्रतिशत) व्यय करने मे विफल रही। बचतों पर चर्चा आगे कंडिका 2.3 मे सम्मिलित की गयी है।

1.9 वित्तीय प्रबंधन

सरकार में वित्तीय प्रबंधन का मामला इसके राजस्व एवं व्यय संचालन की दक्षता, मितव्ययिता एवं कारगरता से संबद्ध होना चाहिए। इस प्रतिवेदन के बाद वाले अध्यायों में लेखापरीक्षा की नमूना जाँच के आधार पर विशेष कर इन मामलों पर विस्तृत व्याख्या की गयी है क्योंकि ये सरकार के व्यय प्रबंधन से संबंधित है। इस खण्ड में कुछ अन्य मानदण्डों, जो कि लेखे एवं सरकार की संबंधित वित्तीय सूचनाओं से अलग किये जा सकते हैं, की चर्चा की गयी है।

1.9.1 निवेश एवं प्रतिफल

विकासात्मक निर्माण, विपणन एवं सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा पूँजीगत परिव्यय में निवेश किया जाता है। 14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार द्वारा वैधानिक निगमो,सरकारी निगमों,संयुक्त पूँजी कम्पनियों और सहकारिता संस्थाओं में कुल 658.13 करोड़ रूपये का निवेश किया गया था। उत्तरवर्त्ती राज्यों बिहार और झारखण्ड के मध्य अभी इसका विनियोजन नहीं हुआ है (जुलाई 2003)। 2001-2002 के दौरान झारखण्ड सरकार ने राजस्व लेखे से झारखण्ड राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम में 2 करोड़ और क्षेत्रीय गामीण बैंकों मे 6.99 करोड़ रूपये का निवेश किया।

1.9.2 अपूर्ण परियोजनाओं

परिशिष्ट III के अनुसार एक सिंचाई परियोजना (स्वर्णरेखा परियोजना) में मार्च 2002 तक 907 करोड़ रूपये की पूँजी निवेशित हुई। झारखण्ड सरकार द्वारा 2001-2002 के दौरान इस परियोजना में 29 करोड़ रूपये का निवेश किया गया था ।

1.9.3 राजस्व के बकाये

31 मार्च 2002 तक जैसा कि विभागों द्वारा प्रतिवेदित किया गया राजस्व संग्रहण रूकने से राजस्व के बकाये 1761.63 करोड़ रूपये थे जिसमें 1243.44 करोड़ रूपये लगभग 71 प्रतिशत बिक्री, व्यापार आदि पर कर अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों में 370.75 करोड़ रूपये यानि 21 प्रतिशत और वाहनों पर कर में 114.96 करोड़ रूपये यानि 7 प्रतिशत से संबंधित थे।

1.9.4 घाटा

1.9.4 (क) सरकारी लेखा में घाटा प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर बतलाता है। व्यय की प्रकृति सरकार में वित्तीय प्रबंधन की दूरदर्शिता का एक महत्तवपूर्ण सूचक है। साथ ही, घाटा को वित्त प्रदान करने का तरीका एवं इस प्रकार से बढ़ायी गयी निधियो का उपयोग सरकार के राजकोषीय दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण सूचक हैं । इस खण्ड में घाटा की तीन अवधारणाओं अर्थात् राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं मूल घाटा से संबंधित चर्चा है ।

1.9.4 (ख) राजस्व प्राप्तियों से अधिक राजस्व व्यय होना राजस्व धाटा है। राजस्व प्राप्तियों (प्राप्त सहायता अनुदान सहित) से अधिक राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (दिये गये निवल ऋण सहित) को राजकोषीय धाटा के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है। मूल घाटा राजकोषीय घाटा घटाव ब्याज भुगतान है। निम्नलिखित प्रदर्श सरकारी लेखा मे धाटा के विभिन्न क्रमों को बताता है :-

तालिका 1.4

समेकित निधि (स.नि.)		(करोड़ रूपये में)			
प्राप्ति	**राशि**		**संवितरण**		**राशि**
राजस्व	4495	**राजस्व घाटा 305**	**राजस्व**		4800
विविध पूँजीगत प्राप्ति	--	-	-	पूँजीगत	733
ऋण एवं अग्रिमों की वूसली	2	-	-	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	329
उपजोड़	**4497**	**सकल राजकोषीय धाटा 1365**	**उपजोड़**		**5862**
लोक ऋण	1585			लोक ऋण पुनर्भुगतान	193
कुल	6082	**क : स0नि0 में आधिक्य 27**			6055
		ख : : आकस्मिकता निधि : शून्य लोक लेखा			
लघु बचत पी.एफ. आदि	169			लघु बचत पी.एफ. आदि	231
जमा एवं अग्रिम	1038			जमा एवं अग्रिम	861
आरक्षित निधियाँ	58			आरक्षित निधियाँ	01
उचंत एवं विविध	(-) 136			उचंत एवं विविध	548
प्रेषण	811			प्रेषण	822
कुल लोक लेखा	1940	**ग : लोक लेखा धाटा 523**			2463
रोकड़ शेष में ह्रास	**(क+ख+ग)**				**496**

तालिका दर्शाती है कि 305 करोड़ रूपये का राजस्व धाटा था। समेकित निधि में 27 करोड़ रूपये और लोक लेखा में घाटा (523 करोड़ रूपये) और 496 करोड़ रूपये से रोकड़ शेष में ह्रास था। सरकार ने भारित औसत बाजार से 8.88 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से पर 370 करोड़ रूपये का उधार लिया जबकि ब्याज की कम दर पर आर.बी.आई. के कोषागार विपत्र में पर्याप्त अधिशेष था। 1392 करोड़ रूपये का राजकोषीय घाटा लोक ऋण (1365 करोड रूपये) की निवल प्राप्ति द्वारा वित्त प्रदत्त किया गया। लोक लेखा में 523 करोड़ रूपये के घाटे को अंशतः समेकित निधि (27 करोड़ रूपये) मे आधिक्य और अंशतः रोकड़ अधिशेष (496 करोड़ रूपये) की निकासी द्वारा वित्त प्रदत्त किया गया।

1.10 लोक ऋण

1.10.1 भारत का संविधान व्यवस्था करता है कि राज्य ऐसी सीमा, यदि हो तो, राज्य के विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित, के अंतर्गत राज्य की समेकित राशि की प्रत्याभूति पर भारत के क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकता है। राज्य विधान मंडल द्वारा ऐसी कोई सीमा निर्धारण हेतु कानून पारित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार के गठन से इसके कुल दायित्वों का ब्यौरा नीचे की तालिका मे दिया गया है: -

तालिका 1.5

वर्ष	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार द्वारा ऋण एंव अग्रिम	कुल लोक ऋण	अन्य दायित्व*	कुल दायित्व	ऋण और रा. स.घ.उ. का अनुपात
			(करोड़ रूपये में)			
नये राज्य झारखण्ड को 14.11.2000 को विनयोजित	2212	3750	5962	विनियोजन नहीं हुआ	5962	
2000-2001	2334	3811	6145	93	6238	0.216
2001-2002	3528	4009	7537	174	7711	0.266

बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 का क्रमांक 30) के अनुसार बिहार राज्य का पुनर्गठन हुआ और 15 नवम्बर 2000 के प्रभाव से सयुक्त बिहार राज्य के 18 जिलों से समाविष्ट नये राज्य झारखण्ड के नाम से जाना गया। तदुपरांत पूर्ववर्त्ती राज्य के विरूद्ध 14.11.2000 को लोक ऋण दायित्वों के बकाये का जनसंख्या के अनुपात में 645.30 : 218.44 मे भारत सरकार द्वारा बिहार पुर्नगठन अधिनियम 2000 (2000 का क्रमांक 30) की धारा 48 (2) के साथ पठित धारा 2 (एच) के अतर्गत दी गयी राशियो का उपयोग करते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह से निर्गत आदेश के अनुसार उत्तरवर्ती बिहार और झारखण्ड के मध्य बाँटना था। तदनुसार, ऐसे शेष बकाये का राज्य सरकार के आंतरिक ऋण से संबंधित बकाये का शेष 2211.69 करोड़ रूपये और भारत सरकार से संबंधित ऋण एंव अग्रिमों के 3750.25 करोड़ रूपये नये राज्य झारखण्ड में विनियोजित हुआ। 2001-2002 की अवधि के दौरान सरकार ने खुले बाजार से 8.88 प्रतिशत प्रतिवर्ष की भारित औसत मात्र दर से 370 करोड़ रूपये का उधार लिया। राज्य सरकार ने तथापि, नीलामी के माध्यम से अपने उधार की आवश्यकताओं के उपभोग करने की अच्छा नहीं व्यक्त की। बाजार ऋण की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि 493 करोड़ रूपये के कुल बकाये बाजार ऋण की परिपक्वता अवधि 6-10 वर्षों की थी।

1.10.2 निधियों की राशि, जो लोक ऋण, पुर्नभुगतान की राशि और उपलब्ध निवल निधियाँ के माध्यम से एकत्र की गयी, निम्नलिखित तालिका में दी गयी है :-

तालिका 1.6

(करोड़ रूपये में)

अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों सहित आंतरिक ऋण	2000-2001	2001-2002
प्राप्तियाँ	175	1208
पुर्नभुगतान (मूल + ब्याज)	54	107
उपलब्ध निवल निधियाँ	121	1101
(प्रतिशत)	69	91
भारत सरकार से ऋण एंव अग्रिम वर्ष के दौरान प्राप्ति	143	389
पुनर्भुगतान (मूल + ब्याज)	82•	663

• मात्र मूल

उपलब्ध निवल निधियाँ	61	- 274
(प्रतिशत)	43	- 70
अन्य दायित्व♦		
वर्ष के दौरान प्राप्ति	359	1118
पुनर्भुगतान (मूल + ब्याज)	345	947
उपलब्ध निवल निधियाँ	14	171
(प्रतिशत)	4	15

यद्यपि बाजार उधार वित्त का सबसे सस्ता स्रोत था, राज्य ने भारत सरकार के एन एस एस एफ से 11.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 825 करोड़ रूपये और भारत सरकार (याजना, ऋण आदि) 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 389 करोड़ रूपये उधार लिया।

लेखा में प्रदर्शित झारखण्ड सरकार के दायित्वों में सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को भुगतेय पेंशन दायित्व और सेवारत कर्मचारियों द्वारा उपार्जित पूर्व सेवा निवृत्ति लाभों का भाग सम्मिलित नहीं है।

1.11 वित्तीय क्रिया कलाप के सूचक

1.11.1 सरकार या तो अपनी किसी वर्त्तमान गतिविधि को कायम रखने या अपनी गतिविधि के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करती है। गतिविधि के वर्त्तमान स्तर को कायम रखने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वित्तीय स्रोत किस हद तक सुदृढ़ है। इसी प्रकार सरकार अगर अपनी गतिविधि के स्तर को बढ़ाना चाहती है तो वित्त प्रदान करने के साधन की नम्यता एवं अंततः प्रक्रिया के दौरान सरकार की बढ़ी हुई योजना का परीक्षण आवश्यक रूप से करना चाहिए। सभी राज्य सरकारें अपनी गतिविधि के स्तर में वृद्धि मूलतः पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जारी रखती है जो विकास योजनाओं का रूप लेती है एवं राज्य बजट में सम्मिलित की जाती है। विस्तृत रूप से यह कहा जा सकता है कि गैर योजना व्यय सरकार के वर्त्तमान गतिविधि के स्तर को कायम रखने का द्योतक है जबकि योजना व्यय गतिविधि के विस्तार को सुनिश्चित करता है। सरकार की बढ़ती हुई भेद्यता की स्थिति में इन दोनों गतिविधियों में संसाधन बढ़ाना आवश्यक है। संक्षेप में, सरकार की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ता, नम्यता और भेद्यता की शब्दावली से वर्णित किया जा सकता है। इन शब्दावलियों को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

(i) सदृढ़ता

सुदृढ़ता एक ऐसा स्तर है जिस पर सरकार वर्त्तमान कार्यक्रमों को कायम रख सकती है और ऋण बोझ को बढ़ाये बगैर वर्त्तमान कर्जदाता की आवश्यकताओ को पूरा कर सकती है।

♦ अन्य दायित्वों में सम्मिलित लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ एवं जमा।

(ii) नम्यता

नम्यता एक ऐसा स्तर है जिस पर सरकार, की गयी बचनबद्धता की अनुक्रिया मे या तो अपने राजस्व या अपने ऋण बोझ मे वृद्धि लाते हुए अपने वित्तीय संसाधन को बढ़ा सकती है।

(iii) भेद्यता

भेद्यता एक ऐसा स्तर है जिस पर सरकार पराश्रित हो जाती है और इस प्रकार वित्त प्रदान करने के लिए घरेलू तथा अंतराष्ट्रीय दोनों स्रोतों जो इसके नियत्रंण या प्रभाव से बाहर हो जाता है, के लिए भेद्य हो जाता है।

(iv) पारदर्शिता

सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सूचना का भी विषय है। यह वार्षिक वित्तीय विवरणी (बजट) तथा लेखे से निर्मित होती है। बजट के संबंध में, बजटीय प्रक्रिया दर्शाते हुए सामयिक प्रस्तुतिकरण तथा आकलनों की शुद्धता मुख्य पैमाने हैं। जहाँ तक लेखे का संबंध है, उपस्थापन में सामयिकता, जिसके दृष्टांत मौजूद हैं तथा लेखे की पूर्णता मुख्य कसौटी होंगे।

1.11.2 वित्त लेखे में उपलब्ध सूचना का उपयोग सुदृढ़ता, नम्यता और भेद्यता व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है एवं उसे वित्त लेखे के लिए खास सूचकाकों/अनुपातों के रूप मे वर्णित किया जा सकता है। ऐसे सूचकांको/अनुपातों की सूची परिशिष्ट IV एवं V मे दी गयी है। प्रदर्श V 2001-2002 की अवधि मे इन सूचकांकों/अनुपातों के आचरण को दर्शाता है ।

1.11.3 राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के लिए प्रदर्श V मे दिये गये इन सूचकाओं/अनुपातों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं मे की गयी है :-

प्रदर्श V

झारखण्ड सरकार का वित्तीय सूचक

	2000-2001	2001-2002
सुदृढ़ता		
बी.सी.आर. (करोड़ रूपये में)	764	502
प्रारम्भिक घाटा (पी.डी.)(करोड़ रूपये में)	आधिक्य 723	797
ब्याज अनुपात	0.04	0.11
पूँजीगत परिव्यय/पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.56	0.61
कुल कर प्राप्तियाँ/जी.एस.डी.पी	0.118	0.11
राज्य कर प्राप्तियाँ/जी.एस.डी.पी.	0.064	0.05
निवेश अनुपात पर प्रतिफल		

नम्यता		
बी.सी.आर. (करोड़ रूपये में)	764	502
पूँजीगत पुनर्भुगतान/पूँजीगत उधार	0.31	0.12
राज्य कर प्राप्तियाँ/जी.एस.डी.पी.	0.064	0.05
ऋण/जी.एस.डी.पी.	0.22	0.27
भेद्यता		
राजस्व घाटा (आर.डी.) (करोड़ रूपये में)	आधिक्य 825	305
राजकोषीय घाटा (एफ.डी.) (करोड़ रूपये में)	आधिक्य 642	1365
प्रारम्भिक घाटा (पी.डी.) (करोड़ रूपये में)	आधिक्य 723	797
पी.डी./एफ.डी.	-	0.58
आर.डी./एफ.डी.	-	0.22
लंबित प्रत्याभूतियाँ/राजस्व प्राप्तियॉ	-	-

(i) चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)

राजस्व प्राप्तियाँ घटाव योजना सहायता अनुदान घटाव गैर योजना राजस्व व्यय को बी.सी.आर. के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है। धनात्मक बी.सी.आर. दर्शाता है कि राज्य सरकार के पास योजना व्यय को पूरा करने के लिए उसके राजस्व से आधिक्य है। तालिका दर्शाती है कि राज्य सरकार को चालू राजस्व से 502 करोड़ रूपये का आधिक्य था।

(ii) व्याज अनुपात

सरकार अपने योजना व्यय के लिए उधार पर आश्रित नहीं थी। व्याज अनुपात जितना ही उच्चर होगा, सरकार को कोई नया ऋण देने एवं अपनी राजस्व प्राप्तियो से राजस्व व्यय पूरा करने की क्षमत्ा उतनी ही कम होगी। झारखण्ड के मामले मे यह अनुपात 0.11 था।

(iii) पूँजीगत परिव्यय/पूँजीगत प्राप्तियाँ

यह अनुपात दर्शायेगा कि पूँजीगत प्राप्तियों को किस हद तक पूँजी सृजन के लिए उपयोग किया जाता है। एक से कम का अनुपात दीर्घकाल में तबतक दृढ नहीं रहेगा जब तक यह इंगित होता रहे कि पूँजीगत प्राप्ति के एक हिस्से को अनुत्पादक राजस्व व्यय के लिए विचलन किया जा रहा है। इसके विपरीत, एक से अधिक का अनुपात इंगित करेगा कि राजस्व आधिक्य से ही पूँजीगत निवेश किये जा रहे हैं। इस अनुपात की प्रकृति का विश्लेषण राज्य सरकार के वित्तीय प्रदर्शन को आलोकित करेगा। बढ़ती हुई प्रवृति का अर्थ, प्रदर्शन मे सुधार होगा। झारखण्ड के मामले मे यह अनपात 0.61 था।

(iv) कर राजस्व बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)

कर प्राप्तियों में राज्य कर एवं केन्द्रीय करों में राज्य का अंश सम्मिलित है। कर प्राप्तियाँ सुदृढ़ता का संकेत देती है परंतु साथ ही साथ कर प्राप्तियों के जी.एस.डी.पी. से अनुपात का आशय नम्यता के लिए भी होना चाहिए जबकि कम अनुपात का अर्थ होगा कि सरकार और कर लगा सकती है और इस प्रकार इसकी नम्यता होगी जो एक उच्च अनुपात वित्तीय साधन की सीमा को ही नहीं अपितु उसकी नम्यता को भी सूचित करता

है। राज्य का बहुत ही निम्न कर जी.एस.डी.पी. का 0.05 अनुपात था। इसका पूर्ण रूप से कर जी.एस.डी.पी. अनुपात भी 0.11 पर संतुलित था।

(v) निवेश पर प्रतिफल (आर.ओ.आई.)

पूँजीगत लागत से उपार्जन का अनुपात आर.ओ.ई. कहलाता है। एक उच्च आर.ओ.ई. सुदृढ़ता का द्योतक है। 15 नवम्बर 2000 के प्रभाव से इसके गठन के बाद, राज्य ने राजस्व लेखा से पुलिस भवन निगम में 2 करोड़ रूपये और पूँजीगत लेखा से ग्रामीण बैंक में 7 करोड़ रूपये, पहली बार 2001-2002 की अवधि में, निवेश किया।

(vi) पूँजीगत पुनर्भुगतान बनाम पूँजीगत उधार

यह अनुपात दर्शाता है कि उधार, पूँजीगत पुनर्भुगतान के बाद किस हद तक निवेश के लिए उपलब्ध है। अनुपात जिनका निम्नतर होगा निवेश के लिए पूँजी की उपलब्धता उतनी ही उच्चतर होगी। झारखण्ड सरकार के मामले मे यह अनुपात 0.12 का था।

(vii) ऋण बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)

जी.एस.डी.पी. राज्य सरकार के कुल आंतरिक संसाधन का आधार है जिसे ऋण सेवा पर उपयोग किया जा सकता है। ऋण/जी.एस.डी.पी. के अनुपात में वृद्धि का अर्थ होगा कि अपने ऋण दायित्वों का निर्वाह करने मे सरकार की सामर्थ्य घट रही है एवं इस प्रकार कर्जदार के लिए जोखिम बढ़ रहा है। झारखण्ड के मामले मे यह अनुपात 0.27 का था।

(viii) राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा

राजस्व प्राप्तियाँ से अधिक राजस्व व्यय होना राजकोषीय घाटा है तथा दर्शाता है के राजस्व व्यय कर्ज इत्यादि के द्वारा वित्त प्रदत्त हैं। स्पष्टतः जितना ही अधिक राजस्व घाटा होगा राज्य उतना ही अधिक भेद्य होगा। चूँकि राजकोषीय घाटा सम्पूर्ण कर्जे का सूचक है, राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा इंगित करेगा कि सरकार के कर्जे का उपयोग किस हद तक गैर उत्पादन राजस्व व्यय को वित्त प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार अनुपात जितना ही उच्चतर होगा राज्य की स्थिति उतनी ही बदतर होगी क्योंकि वह इंगित करेगा कि राज्य का पुनर्भुगतान के सामर्थ्य में वृद्धि हुए बिना ही ऋण का बोझ बढ़ रहा है। वर्ष के दौरान अनुपात 0.22 था और राजस्व घाटा को पूरा करने के लिए मात्र 19 प्रतिशत कर्ज के लिए आवेदन दिया।

(ix) प्रारम्भिक घाटा बनाम राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा घटाव ब्याज भुगतान प्रारम्भिक घाटा होता है। इसका अर्थ है कि अनुपात का मान जितना ही कम होगा पूँजीगत निवेश के लिए निधि की उपलब्धता उतनी ही कम होगी। वर्ष के दौरान अनुपात 0.58 था और राज्य ने पूँजीगत व्यय पर

46 प्रतिशत और ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण पर 21 प्रतिशत के लिए आवेदन किया।

(x) बजट

बजट को उपस्थापित करने एवं उसे अनुमोदित करने में विलम्ब नहीं किया गया था। इस प्रतिवदेन के अध्याय II में बजट आकलन एंव वास्तविक व्यय में विविधता तथा बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की गुणवत्ता का भी विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । यह त्रुटिपूर्ण बजट बनाने और व्यय पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है जैसा कि अंतिम परवर्धित अनुदान की तरह अच्छी खासी राशि का पुनर्ग्रहण (अभ्यर्पण) होना था। इस अवधि के दौरान कुल बजटीय निधि का 28 प्रतिशत का व्यय नहीं किया गया (बचत)। तदन्तर वर्ष के दौरान प्राप्त की गयी अनुपूरक व्यवस्था मूल बजट व्यवस्था का 18 प्रतिशत थी। मात्र 56 प्रतिशत बचत का ही अम्यर्पण किया गया और वह भी वर्ष के अंत में।

(xi) लेखा

यह देखा गया कि कोषागारों और अन्य लेखा इकाइयों जैसे लोक निर्माण और वन प्रमण्डलों द्वारा निर्धारित दिनों पर लेखा प्रस्तुत नहीं किये गये। उदाहरणस्वरूप मार्च 2002 का लेखा 101 कोषागारों, 501 लोक निर्माण प्रमण्डलों और 581 वन प्रमण्डलों द्वारा 30 ओर 90 दिनों के मध्य, 63 लोक निर्माण प्रमण्डलों और 116 वन प्रमण्डलों द्वारा 91 से 180 दिनों के मध्य और 4 लोक निर्माण प्रमण्डलों और 5 वन प्रमण्डलों द्वारा 181 से 270 दिनों के विलम्ब से दिये गये। परिणामतः वर्ष के अधिकतर महीनों के लेखे व्यय के वास्तविक स्तर को नहीं दिखाते थे। विलम्ब से जमा होने के कारण राज्य सरकार के लेखे के अंतिम रूप देने में विलम्ब हुआ।

1.11.4 निष्कर्ष

संयुक्त राज्य बिहार के पुनर्गठन के फलस्वरूप 15 नबम्वर 2000 (निर्धारित दिन) के प्रभाव से संयुक्त बिहार राज्य के 18 जिलों से समाविष्ट नया राज्य झारखण्ड बना। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 का क्रमांक 30) के प्रावधन के संदर्भ मे निर्धारित दिन के पूर्व के संयुक्त बिहार राज्य की परिसम्पत्तियों और दायित्वों का और अन्य वित्तीय समायोजनों का बँटवारा होना है। अभी तक (सितम्बर 2002) राज्य सरकार के आंतरिक ऋण से संबंधित दायित्वों और केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिमों तथा रिजर्व बैंक मे जमा (घटाव शेष) का बँटवारा हो चुका है। राज्य की वित्तीय स्थिति की सही तस्वीर परिसम्पत्तियों और दायित्वों के बँटवारे के बाद ही उभरेगी। तथापि, 1.04.2001 से 31.3.2002 के दौरान के लेखा से उद्घटित हुआ कि राजस्व, राजकोषीय और प्रारम्भिक घाटा के परिणास्वरूप एक तरफ 496 करोड़ रूपये के रोकड़ शेंष मे तेजी से गिरावट और दूसरी तरफ बजट प्रावधान मे लगभग 28 प्रतिशत की बचत जो योजनाओ को धीमी गति से लागू करने से भी हो सकता है।